



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 2005/माघ 25, 1926

No. 55]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 2005/MAGHA 25, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा-1)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2005

सा.का.नि. 68(अ).—भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (1) में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ. 7(105)96/का.शा.-1 दिनांक 7 जनवरी, 2005 के हिन्दी पाठ में आंशिक संशोधन करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रणाली शाखा के भर्ती विनियमों के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित संशोधन/सुधार किया जाता है:—

	अधिसूचित/प्रकाशित	सुधार/शुद्ध करना
1. प्रोग्रामर एवं कन्सोल ऑपरेटर (अब प्रोग्रामर के रूप में पुनर्वदनामित) के पद हेतु भर्ती विनियम अनुबंध सं.-3 पृष्ठ-4 व 5 कॉलम-10 भर्ती की पद्धति	50 प्रतिशत भर्ती द्वारा	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
2. सहायक निदेशक (प्रणाली) के पद हेतु भर्ती विनियम अनुबंध सं.-4 पृष्ठ सं.-5 व 6 कॉलम-3 वर्गीकरण	समूह "ग"	समूह "क"
3. उपनिदेशक (प्रणाली) के पद हेतु भर्ती विनियम अनुबंध सं.-5 पृष्ठ सं.-7 व 8 कॉलम-2, पदों की संख्या	छह-6 समय-समय पर स्वीकृति के अनुसार परिवर्तनीय	पांच-5 समय-समय पर स्वीकृति के अनुसार परिवर्तनीय

[सं. फा. 7(105)96/पीबी-1]

विश्व मोहन बंसल, मुख्य आयुक्त एवं सचिव

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY****(Personnel Branch-I)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 11th February, 2005

**G.S.R. 68(E).**—In partial modification of Notification No. F.7(105)96/PB-I dated 7-1-2005 published in the Gazette of India, under Part-II, Section 3, Sub-section (i) Extraordinary, the following rectifications/corrections in respect of Recruitment Regulations for System Cadre are made as under :—

	Notified/Published	Rectification/Correction made
1. Annexure-3, P-12-13 Recruitment Regulations for the post of Programmer-cum-Console Operator (Now renamed as Programmer) Col. No. 15 Power to relax	When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may be order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.	When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.
2. Annexure No. 5, P-15 and 16 Recruitment Regulation for the post of Deputy Director (Systems). Column No. 2 No. of posts	*Six (6) *Subject to variation as per sanction from time to time	*Five (5) *Subject to variation as per sanction from time to time.

[No. F. 7(105)96/PB-I]

V.M. BANSAL, Pri. Commissioner-cum-Secy.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7]  
No. 7]नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 7, 2005/पौष 17, 1926  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 2005/PAUSA 17, 1926

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा-1)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2004

सा०का०नि० 8(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास (विविध) नियम, 1959 के उप-नियम 4 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्रणाली शाखा के विभिन्न पदों के लिए अनुबंध-1 से अनुबंध-6 के अनुसार भर्ती विनियम बनाता है/भर्ती नियमों में संशोधन करता है।

अनुबंध संख्या पद का नाम, जिसके लिए भर्ती विनियमों को अधिसूचित किया जा रहा है।

1. कनिष्ठ डाटा सहायक
2. वरिष्ठ डाटा सहायक
3. प्रोग्रामर-एवं-कंसोल ऑपरेटर (अब प्रोग्रामर के रूप में पुनर्पदानामित)
4. सहायक निदेशक (प्रणाली)
5. उप निदेशक (प्रणाली)
6. निदेशक (प्रणाली)

अनुबन्ध-1

कनिष्ठ डाटा सहायक के पद हेतु भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. कनिष्ठ डाटा सहायक	* आठ (8) *वर्तमान पदधारियों की पदोन्नति अथवा सेवा निवृत्ति अथवा त्याग-पत्र के बाद समाप्त कर दिए जाएंगे।	समूह-ग	4500-125-7000/- रुपये	लागू नहीं

क. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में सीधे भर्ती व्यक्तियों हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी
ख. क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है ?		

(6)	(7)	(8)
क. 25 वर्ष से अधिक नहीं।	योग्यता :	लागू नहीं
ख. लागू नहीं	अनिवार्य :	
	i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।	
	ii. डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सीडिटेशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्स (डी. ओ. ई. ए. सी. सी.) से 'ओ' स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।	
	iii. 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से डाटा एण्ट्री/सत्यापन का कार्य करने में समर्थ हों, जिसकी जांच विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की जाएगी।	

परिबीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका क्या गठन है ?
----------------------------	--	---	---

(9)	(10)	(11)	(12)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति

बचाव	निरर्हता	शिथिल करने की शक्ति
(13)	(14)	(15)

इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों या व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।	कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो।	जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।
---	--	---

## अनुबन्ध-2

## वरिष्ठ डाटा सहायक के पद हेतु भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है ?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. वरिष्ठ डाटा सहायक	* चार (4) *वर्तमान पदधारियों की पदोन्नति अथवा सेवा निवृत्ति अथवा त्याग-पत्र के बाद समाप्त कर दिए जाएंगे	समूह-ग	5000-150-8000/- रुपये	चयन पद
क. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा ख. क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है ?	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं			क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में सीधे भर्ती व्यक्तियों हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी
(6)	(7)	(8)		
क. 30 वर्ष से अधिक नहीं। ख. नहीं	योग्यता : अनिवार्य : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 2. डिपार्टमेंट ऑफ इलैक्ट्रानिक्स एंक्रिडिटेशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्स (डी.ओ. ई.ए.सी.सी.) से 'ओ' स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 3. 10,000 'की-डिप्रेशन' प्रति घंटा की गति से डाटा एण्ट्री/सत्यापन का कार्य करने में समर्थ हों, जिसकी जांच विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की जाएगी। 4. डाटा एंटी/डाटा सत्यापन एवं वैद्यता में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं		
परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रशिक्षता।	यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है।		यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका क्या गठन है ?
(9)	(10)	(11)	(12)	
दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति ग्रेड में कम-से-कम 5 वर्षों की नियमित सेवा करने वाले कनिष्ठ डाटा सहायक से	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति	

बचाव	निरहता	शिथिल करने की शक्ति
(13)	(14)	(15)
इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों या व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण या आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।	कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो।	जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।

## अनुबन्ध-3

## प्रोग्रामर एवं कन्सोल ऑपरेटर (अब प्रोग्रामर के रूप में पुनर्पदनामित) के पद हेतु भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है ?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. प्रोग्रामर एवं कन्सोल ऑपरेटर (अब प्रोग्रामर के रूप में पुनर्पदनामित)	* आठ (8) *संस्वीकृति के अनुसार समय-समय पर परिवर्तनीय	समूह-ख	5500-175-9000/- रुपये	चयन पद

क. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा  
ख. क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है ?

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं

क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में सीधे भर्ती व्यक्तियों हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी।

(6)	(7)	(8)
क. 30 वर्ष से अधिक नहीं। ख. लागू नहीं	योग्यता : अनिवार्य : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा कालेज/संस्थान से कम्प्यूटर/विज्ञान/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग डिग्री। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री। अथवा डिपार्टमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंजिनिडेशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्स (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) से 'बी' स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हों। 2. सॉफ्टवेयर विकास, आर डी बी एम एस और डाटा प्रोसेसिंग में एक वर्ष का अनुभव।	आयु—नहीं शैक्षणिक योग्यता—नहीं

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसका क्या गठन है
----------------------------	--	---	--

(9)	(10)	(11)	(12)
दो वर्ष	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, वरिष्ठ डाटा सहायकों में से, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा। 50 प्रतिशत भर्ती द्वारा।	पदोन्नति ग्रेड में कम-से-कम 8 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले वरिष्ठ डाटा सहायकों में से।	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति

बचाव	निरर्हता	शिथिल करने की शक्ति
(13)	(14)	(15)
इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों या व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण या आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।	कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा— जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, जिसका पति/पत्नी जीवित हो।	जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।

## अनुबन्ध 4

## सहायक निदेशक (प्रणाली) के पद हेतु भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक निदेशक (प्रणाली)	आठ (8)* * समय-समय पर स्वीकृति के अनुसार परिवर्तनीय	समूह-ग	8000-275-13,500 रुपये	चयन पद

क. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में सीधे भर्ती व्यक्तियों हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी
ख. क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है ?		

(6)	(7)	(8)
क. 35 वर्ष से अधिक नहीं।	योग्यता :	आयु : नहीं
ख. नहीं	अनिवार्य :	शैक्षणिक योग्यता : नहीं
	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इंजीनियरिंग कालेज/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग डिग्री।	
	अथवा	
	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज/संस्थान से कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री।	
	अथवा	
	डिपार्टमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंफ्रीडिटेड ऑफ कम्प्यूटर कोर्स (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) से 'बी' स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।	
	2. प्रणाली विश्लेषण, डिजाइन, सॉफ्टवेयर विकास एवं कार्यान्वयन के साथ-साथ डाटा प्रणाली में 4 वर्षों का अनुभव	

परिचीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति :	यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसका क्या गठन है
	सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		
(9)	(10)	(11)	(12)
दो वर्ष	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा। 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले प्रोग्रामर से	ग्रुप 'ए' डी पी सी

बचाव	निरहता	शिथिल करने की शक्ति
(13)	(14)	(15)
इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण या आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।	कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, जिसका पति/पत्नी जीवित हो।	जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों और पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।



## अनुबन्ध-5

## उप निदेशक (प्रणाली) के पद हेतु भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप निदेशक (प्रणाली)	* छह (6) * समय-समय पर स्वीकृति के अनुसार परिवर्तनीय	समूह-क	10,000-325-15,200 रुपये	चयन पद

क. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा ख. क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में सीधे भर्ती व्यक्तियों हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी
(6)	(7)	(8)

क. 40 वर्ष से अधिक नहीं। (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)	योग्यता : अनिवार्य :	आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : नहीं
---	-------------------------	---------------------------------------

ख. नहीं

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इंजीनियरिंग कालेज/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग डिग्री।

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री।

अथवा

डिपार्टमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिटेशन्स ऑफ कम्प्यूटर कोर्स (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) से 'बी' स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

2. प्रणाली विश्लेषण, डिजाइन, सॉफ्टवेयर विकास एवं कार्यान्वयन, प्रणाली एवं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का सात वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रणाली प्रशासन का होना चाहिए।

परिक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका क्या गठन है
---------------------------	--	--	---

(9)	(10)	(11)	(12)
दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों तरीकों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले सहायक निदेशक (प्रणाली) से। प्रतिनियुक्ति : केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन में समान पद पर कार्यरत अधिकारियों से।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति

बचाव	निरहता	शिथिल करने की शक्ति
(13)	(14)	(15)
इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों या व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।	कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो।	जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।

## अनुबन्ध-6

## निदेशक ( प्रणाली ) के पद हेतु भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निदेशक (प्रणाली)	* एक * समय-समय पर स्वीकृति के अनुसार परिवर्तनीय	समूह-क	12,000-375-16,500 रुपये	चयन पद

क. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा

ख. क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा में किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं

क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के मामले में सीधे भर्ती व्यक्तियों हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी

(6)	(7)	(8)
क. लागू नहीं ख. नहीं	योग्यता : अनिवार्य : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इंजीनियरिंग कालेज/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग डिग्री। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री। अथवा डिपार्टमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एक्सीडिटेशन्स ऑफ कम्प्यूटर कोर्स (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) से 'बी' स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 2. सूचना प्रणाली के प्रबंधन में 2 वर्ष के अनुभव सहित प्रणाली विश्लेषण, डिजाइन, सॉफ्टवेयर विकास एवं कार्यान्वयन, प्रणाली एवं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का दस वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं

परीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति—सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रशिक्षता।	यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह ग्रेड, जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका क्या गठन है ?
---------------------------	--	--	---

(9)	(10)	(11)	(12)
दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले उप-निदेशक (प्रणाली) से। प्रतिनियुक्ति : केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन में समान पद पर कार्यरत अधिकारियों से।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति

बचाव	निरहता	शिथिल करने की शक्ति
(13)	(14)	(15)
इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों या व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण या, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।	कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो। अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो।	जब अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।

[सं.एफ. 7 (105)96/का.शा.-I]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY****(Personnel Branch-I)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th October, 2004

**G.S.R. 8(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with the Sub-rule 4 of the Delhi Development (Miscellaneous) Rules, 1959, the Delhi Development Authority hereby makes/amend the Recruitment regulation with the previous approval of the Central Government for the various posts of System Wing as per the Annexure-1 to Annexure-6.

Annexure No.	Name of the Post for which RRs to be Notified
1.	Junior Data Assistant
2.	Senior Data Assistant
3.	Programmer-cum-Console Operator (Now renamed as Programmer)
4.	Assistant Director (System)
5.	Deputy Director (System)
6.	Director (System)

**Annexure-1****RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF JUNIOR DATA ASSISTANT**

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Jr. Data Assistant	8* *To be abolished after promotion or retirement or resignation of present incumbents.	Group 'C'	4500-125-7000/-	Not applicable
(a) Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	
(b) Whether benefit of any added years of service admissible under rule-30 of CCS (Pension) Rules, 1972				
6	7	8		
(a) Not exceeding 25 years	<b>Qualification :</b>		N.A.	
(b) N.A.	<b>Essential</b>			
	(i) Graduate from a recognised University			
	(ii) Should have passed 'O' level examination from the Deptt. of Electronics Accreditation of Computer Course (DOEACC)			
	(iii) Data entry/Verification with a speed of 10,000 key depression per hour to be tested by D.P.C.			

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputations & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/transfer/deputation grades from which promotion/transfer/deputation is to be made	If a DPC exists what is its composition
9	10	11	12
Two years	By direct recruitment	N.A.	Group 'C' DPC
Saving	Disqualification	Power to relax	
13	14	15	
Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.	No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive.	When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.	

## Annexure-2

## RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF SENIOR DATA ASSISTANT

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Senior Data Assistant	4* *To be abolished after promotion or retirement or resignation of present incumbents.	Group 'C'	Rs. 5000-150-8000	Selection post
(a) Age limit for direct recruitment (b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	
6	7	8		
(a) Not exceeding 30 years (b) No	Qualification : Essential (i) Graduate from a recognised University (ii) Should have passed 'O' level examination from the Deptt. of Electronics		N.A.	

Accreditations of Computer Course  
(DOEACC).

- (iii) Data entry/Verification with a speed of 10,000 key depression per hour to be tested by D.P.C.
- (iv) Atleast 5 years experience in Data entry/ verification and validation of data.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputations and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/transfer/deputation grades from which promotion/transfer/deputation is to be made	If a DPC exists what is its composition
9	10	11	12
Two years	By promotion failing which by direct recruitment	<b>Promotion</b> From Jr. Data Assistant with atleast 5 years regular service in the grade	Group 'C' DPC
Saving	Disqualification	Power to relax	
13	14	15	
Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.	No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive.	When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.	

**Annexure-3**

**RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF PROGRAMMER-CUM-CONSOLE OPERATOR  
(NOW RENAMED AS PROGRAMMER)**

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Programmer-cum-Console operator (Now renamed as Programmer)	8* *Subject to variation as per sanction from time to time	Group 'B'	Rs. 5500-175-9000	Selection post

(a) Age limit for direct recruitment (b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	
6	7	8	
(a) Not exceeding 30 years (b) No	<b>Qualification :</b> <b>Essential—</b> (i) Engineering Degree in Computer Science/Computer Engineering/Electronics from a recognised University or Engineering College/Institute. OR Master Degree in Computer Science/Computer Application from a recognised University, Engineering College/Institute OR Should have passed 'B' level examination from the Deptt. of Electronics Accreditations of Computer Course (DOEACC). (ii) One year experience in Software Development, RDBMS and Data Processing.	Age : No Educational Qualification : No	
Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputations and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/transfer/deputation grades from which promotion/transfer/deputation is to be made	If a DPC exists what is its composition
9	10	11	12
Two years	50% by promotion, from Sr. Data Asstts. failing which by direct recruitment. 50% by direct recruitment.	<b>Promotion :</b> From Sr. Data Assistant with atleast 8 years regular service in the grade.	Group 'B' DPC
Saving	Disqualification	Power to relax	
B	H	B	
Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.	No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive.	When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may be order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.	

## Annexure-4

## RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR (SYSTEMS)

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Assistant Director (Systems)	*Eight (8) *Subject to variation as per sanction from time to time	Group 'A'	Rs. 8000-275-13500/-	Selection post
(a) Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	
(b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972				
6	7	8		
(a) Not exceeding 35 years	<b>Qualification :</b>		Age—No	
(b) No	<b>Essential—</b>		Educational Qualification—No	
(i) Engineering Degree in Computer Science/Computer Engineering/Electronics from a recognised University or Engineering College/Institute.				
OR				
Master Degree in Computer Science/Computer Application from a recognised University, Engineering College/Institute.				
OR				
Should have passed 'B' level examination from the Deptt. of Electronics Accreditations of Computer Course (DOEACC).				
(ii) 4 year experience in System analysis, Design, Software Development and Implementation as well as Data Processing				



Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputations and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/transfer/deputation grades from which promotion/transfer/deputation is to be made	If a DPC exists what is its composition
9	10	11	12
Two years	50% by promotion, failing which by direct recruitment 50% by direct recruitment	<b>Promotion</b> From Programmer with at least 5 years regular service in the grade	Group 'A' DPC
Saving	Disqualification	Power to relax	
13	14	15	
Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.	No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive	When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.	

## Annexure-5

## RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR (SYSTEMS)

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Deputy Director (Systems)	*Six (6) *Subject to variation as per sanction from time to time	Group 'A'	Rs. 10000-325-15200/-	Selection post
(a) Age limit for direct recruitment	(b) Whether benefit of any added years of service admissible under rule-30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Education and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.
6	7	8		
(a) Not exceeding 40 years (relaxable for Govt. Servants)	<b>Qualification :</b>	Age No Educational Qualification No		
(b) No	<b>Essential</b>			

88 GI/05-5

7

- (i) Engineering Degree in Computer Science/Computer Engineering/Electronics from a recognised University or Engineering College/Institute.

OR

Master Degree in computer Science/Computer Application from a recognised University, Engineering College/Institute

OR

Should have passed 'B' level examination from the Deptt. of Electronics Accreditations of Computer Course (DOEACC).

- (ii) Seven years experience in System Analysis, Design, Software Development & Implementation System and Network Administration out of which atleast 3 years experience should be in actual system Administration.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputations and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/transfer/deputation grades from which promotion/transfer/deputation is to be made	If a DPC exists what is its composition
9	10	11	12
Two years	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment	<p><b>Promotion</b> From Asstt. director (Systems) with at least 5 years regular service in the grade.</p> <p><b>Deputation :</b> Officers holding analogous posts under the Centre/State Govt./ Public Sector Undertaking/Autonomous Organisation.</p>	Group 'A' DPC
Saving	Disqualification	Power to relax	
13	14	15	
Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.	No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive	When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.	

## Annexure-6

## RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF DIRECTOR (SYSTEMS)

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Director (Systems)	*One (1) *Subject to variation as per sanction from time to time	Group 'A'	Rs. 12000-375-16500	Selection post
(a) Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists	
(b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule-30 of CCS (Pension) Rules, 1972				
6	7	8		
(a) Not applicable	<b>Qualification :</b>		Not applicable	
(b) No	<b>Essential :</b>			
	(i) Engineering Degree in Computer Science/Computer Engineering/Electronics from a recognised University or Engineering College/Institute			
	OR			
	Master Degree in Computer Science/Computer Application from a recognised University, Engineering College/Institute			
	OR			
	Should have passed 'B' level examination from the Deptt. of Electronics Accreditations of Computer Course (DOEACC).			
	(ii) Ten year experience in System Analysis, Design, Software Development & Implementation System and Network Administration with atleast 2 years in Managing Information systems.			
Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputations and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/transfer/deputation grades from which promotion/transfer/deputation is to be made	If a DPC exists what is its composition	

9	10	11	12
Two years	By promotion, failing which by deputation, failing which by direct recruitment	<b>Promotion :</b> From Deputy Director (Systems) with atleast 5 years regular service in the grade.  <b>Deputation :</b> Officers holding analogous posts under the Centre/State Govt./ Public Sector Undertaking/Autonomous Organisation	Group 'A' DPC
Saving	Disqualification	Power to relax	
13	14	15	
Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.	No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive.	When the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of those regulations in respect of any class or category or persons or posts.	

[No. F. 7 (105) 96/PB-I]

V.M. BANSAL, Pr. Commr.-cum.-Secy.